Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023 and Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नं: 26 और 27 क्या चर्चा में एक साथ लिए जा सकते हैं?

अनेक माननीय सदस्य **:** जी हाँ ।

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नं: 26 - डॉ. वीरेन्द्र कुमार ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री **(**डॉ**.** वीरेन्द्र कुमार**):** अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नं: 27 ? श्री अर्जुन मुंडा ।

जनजातीय कार्य मंत्री तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री **(**श्री अर्जुन मुंडा**):** अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

?कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

और

?कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

डॉ**.** अमर सिंह **(**फतेहगढ़ साहिब**):** अध्यक्ष जी, मुझे इन संशोधनों पर बोलने का मौका मिला है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, पहले संशोधन तो सिर्फ एक शब्द ?बाल्मिकी? ऑलरेडी है लेकिन उसकी जगह ?वी? वाला ?वाल्मिकी? उसे साइनोनम करके जोड़ रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है । वह तो ठीक है । कहीं रह गया होगा, उसे जोड़ रहे हैं, वह ठीक है । उसमें साइनोनम डालने में कोई इश्यू नहीं है, उसमें मेरा कोई दूसरा विचार नहीं है ।

<u>17.40 hrs</u> (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

सभापति जी, जो असली मुद्दा है, वह यह है कि जम्मू और कश्मीर में और सारे हिन्दुस्तान में जो कमजोर लोग हैं, उनकी हालत क्या है । जम्मू-कश्मीर में जो पहले रिज़र्वेशन थी, वह थोड़ी-सी है । मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो जितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से उसमें भी अमेंडमेंट ले आएं, जिससे कि जितनी उनकी जनसंख्या है, उस हिसाब से उनको रिज़र्वेशन मिल जाए ।

अब आपने वर्ष 2021 का सेन्सस तो कराया नहीं, तो अपने पास वे फिगर्स उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन, वर्ष 2011 के सेन्सस के फिगर्स अपने पास उपलब्ध हैं । मुल्क में एस.सी. पॉपुलेशन 16.6 प्रतिशत है । मंत्री जी, यह आपके ही फिगर्स हैं । लेकिन इन एस.सी. में से 2.2 प्रतिशत लोगों के पास ही जमीन है, बाकी तो 97.8 प्रतिशत लोग लैंडलेस हैं, उनके पास जमीन नहीं है । मुल्क के सामने यह एक बहुत बड़ा सवाल है ।

हम कोई भी चीज देख लें । अगर हम पॉवर्टी को देखें तो एनएसएसओ ने वर्ष 2019 में आपकी सरकार में ही कहा कि इस मुल्क में 21 प्रतिशत लोग गरीब हैं । हालांकि, गरीबी की जो परिभाषा है, वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है, उसको ?सब्सिस्टेंस-लेवल डेफिनिशन? बोलते हैं । इसमें 26 रुपये प्रति दिन रूरल एरियाज़ के लिए है और 32 रुपये प्रति दिन अर्बन एरियाज़ के लिए हैं । यह तो हमारी डेफिनिशन है । पर, उसको भी देख लीजिए कि अगर हमारे मुल्क में 21 प्रतिशत गरीबी है तो ये लोग तो 32 प्रतिशत गरीब हैं । पढ़ाई-लिखाई में देख लीजिए, ओवरऑल 80 प्रतिशत के ऊपर हैं तो ये लोग 70 प्रतिशत पर खड़े हैं ।

किसी भी चीज में आप देख लीजिए । बैंक लोन्स के मामले में देख लीजिए । सिर्फ 15 से 16 प्रतिशत को लोन मिल रहा है, बाकी 85 प्रतिशत घूम रहे हैं, किसी को लोन नहीं मिल रहा है । वर्ष 2018 में आपकी सरकार ने सर्वे कराया । सिर्फ 11 प्रतिशत लोग अंडर-ग्रैजुएट और पोस्ट-ग्रैजुएट कोर्सेस में हैं । पी.एच.डी. में तो उससे भी कम हैं, वे 9 या 10 प्रतिशत हैं । एमबीबीएस में 8.3 प्रतिशत स्टूडेंट्स हैं । यह आपकी सरकार ने ही निकाला है ।

महोदया, माननीय मंत्री जी अभी चले गए हैं, इन्होंने राज्य सभा में यह जवाब दिया कि ऑल इंडिया सर्विसेज में एस.सी. सिर्फ 7.65 प्रतिशत हैं जबकि भारत सरकार में उनके लिए 15 प्रतिशत रिज़र्वेशन है । आप देख लीजिए ।

वर्ष 2015-16 में आपकी सरकार ने एनएसएसओ द्वारा एक सर्वे कराया कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एन्टरप्राइजेज में वीकर सेक्शंस के कितने लोग हैं, तो मीडियम एन्टरप्राइजेज में 0.01 प्रतिशत हैं, मतलब ये नाम के बराबर हैं । स्मॉल एन्टरप्राइजेज में ये 5.5 प्रतिशत हैं । माइक्रो एन्टरप्राइजेज में, अगर कोई छोटा-सा दुकान, धंधा खोल कर बैठ गया, वह 12.5 प्रतिशत है । यह आपकी ही सरकार की सर्वे है ।

अब इनकम देख लीजिए । नेशनल एवरेज इनकम को देख लीजिए । यह भी आपकी सरकार के आंकड़े हैं कि अब देश में एवरेज इनकम करीब 1,64,000 रुपये प्रति वर्ष हैं और एस.सी. लोगों की इनकम 89,000 रुपये हैं । यह करीब-करीब 50 प्रतिशत है ।

माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 में प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी?

माननीय सभापति **:** अब आप समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : मैडम, मैं पहला वक्ता हूँ । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने के लिए पांच मिनट का समय मिला है । अब आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : मैडम, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : इस बिल पर एक घंटे का समय है ।

? (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : मैडम, इसको एक घंटे में कैसे पूरा कर देंगे? इस पर टाइम को एक्सटेंड कर लीजिए । हम इतना कम समय रखेंगे तो कैसे चलेगा? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको सिर्फ एक मिनट का समय ही और मिलेगा ।

? (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : ठीक है । मंत्री जी, हमने पिछले पांच सालों का बजट एलोकेशन निकाल कर देखा है, आप सिर्फ 11 पर्सेंट कर रहे हैं और एक्सपेंडीचर 60-70 पर्सेंट है, इसका मतलब है कि आप स्पेशल कंपोनेंट प्लान का कर रहे हैं । इस तरह से इन सैक्शन्स का भला कैसे होगा? इनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ बढ़ गई हैं, अनएम्पलॉएमेंट की रेट बढ़ती जा रही है । मेरा कहना है कि यह अमेंडमेंट तो सही है, लेकिन इन वीकर सैक्शन्स को, हमें ओवर ऑल सारे पैरामीटर्स में ऊपर लाना पड़ेगा । ये इतने नीचे हैं, जिसके लिए सरकार को कुछ स्कीम ले कर आनी चाहिए ।

मंत्री जी, मैंने ये सारे जो सवाल उठाए हैं, उनका आप अपने रिप्लाई में जवाब दें कि सरकार क्या करने जा रही है ।

धन्यवाद ।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदया, जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो ऐतिहासिक विधेयकों पर सदन में इकट्ठे चर्चा हो रही है । एक संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2023 और दूसरा संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2023 को पास करने के लिए यहां पर चर्चा हो रही है ।

महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, जम्मू-कश्मीर का चहुंमुखी विकास हो, उसके लिए जम्मू-कश्मीर में अमन और शांति हो, एक नहीं अनेक कदम उठाए गए हैं और हरेक कदम सराहनीय है । विशेष तौर पर जब से धारा 370 हटी है, तब से तो जम्मू-कश्मीर के भाग्य ही खुल गए हैं । आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वर्ग के लोगों को स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में आरक्षण देने की व्यवस्था आज इस सदन ने की है । अभी जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है, उसके माध्यम से वाल्मीकी समुदाय के लोगों को एससी स्टेट्स देने की बात हो रही है, यह बहुत ही अच्छी बात है ।

दूसरा, इसी के साथ पहाड़ियों को एसटी स्टेट्स देने की भी बात हो रही है । ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हैं ।

महोदया, जम्मू-कश्मीर में 70 वर्षों से अराजकता और अन्याय का जो दौर चल रहा था, वह विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के राज में चला । उस दौर में लोग असहाय थे, मज़बूर थे । लोगों को कई किस्म की यातनाएं दी जा रही थी, गुनाह हो रहे थे, लेकिन लोग सहन करते जा रहे थे । उनकी कोई सुनवाई नहीं थी । जम्मू-कश्मीर के लोगों को गुलाम बना कर रख हुआ था, विशेष तौर पर तीन परिवारों द्वारा, जिनके बारे में मैं अभी जिक्र किया है । उन्होंने लूट-खसोट का दौर जारी रखा था और वे सिर्फ अपने ही परिवार की चिंता करते थे । उन्होंने नागरिकों को परेशानियां देने के सिवाय कुछ नहीं किया ।

महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ हमेशा धोखा, साजिश और गुनाह किया है और उन लोगों को गुमराह किया है । विशेष तौर पर, जम्मू-कश्मीर के लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों से भी वर्षों तक, इन पार्टियों ने वंचित रखा । मैं बताना चाहता हूँ कि वहां के हुक्मरानों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के हक़ों को छीन कर रखा और उन तक वे हक़ नहीं पहुंचने दिए ।

जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जुल्म-ओ-सितम का दौर देखा है । उनको सुनने वाला कोई नहीं था । मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोशनी की किरण वर्ष 2014 में नजर आई, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सेवक के रूप में बागडोर संभाली । उन्होंने लालकिले से यह घोषणा की कि सबका साथ सबका विकास होगा । तब जम्मू-कश्मीर के लोगों को रोशनी की एक किरण नजर आई । उन्हें विश्वास हो गया के अब जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ होगा । जम्मू-कश्मीर के लोगों को विश्वास हो गया कि अब इंसाफ होगा । हमारे गूजर, बक्करवाल, गद्दी, सिप्पी अपने हकों को लेकर वर्षों से चिल्ला रहे थे । अब उनको इंसाफ दिया गया । उनको जमीन का मालिकाना हक दिया गया । गूजर और बक्करवाल को पोलिटिकल रिजर्वेशन दी गई ।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग की 50 सालों की मांग थी । यह अब जाकर पूरी हुई है । इसके साथ यदि मैं बाल्मिकी समाज की बात करूं तो जम्मू-कश्मीर के लोग वर्षों से दर-बदर की ठोकरें खा रहे थे । उनको भी इंसाफ देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है । पीओके के रिफ्यूजी जो वर्षों से जम्मू-कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन उनको नागरिकता ही नहीं दी गई थी । नेशनल कांफ्रेंस के लोगों ने उनके साथ धोखा किया था । वे सिर्फ नारे देकर वोट की राजनीति करते थे । अब जाकर उनके साथ भी इंसाफ हुआ है । उनको भी नागरिकता मिली है । वे उन सारी योजनाओं का लाभ ले हैं, जो देश के नागरिक ले रहे हैं ।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि अब पहाड़ी कबीले के लोगों को इंसाफ देने की बात हो रही है। अब उनका समय आ गया है । पहाड़ी कबीले के वे लोग हैं, जो वर्ष 1947 में बड़ी संख्या में पीओके में चले गए । पाकिस्तान में जाने का कारण, जवाहर लाल नेहरू की गलतियों के कारण पीओके पाकिस्तान में चला गया । लेकिन, जो जहां बस गए, हमारे यहां जो एलओसी है, वे वहीं पर रहते हैं । वे डटे रहते हैं, सिपाही का काम करते हैं, सीमा पर सेना का भी सहयोग करते हैं ।

महोदया, पहाड़ी कबीले के लोग जिला राजौरी, पुंछ, नुशारा, सुंदरमणि, उड़ी, करनाह, तंगधार, इडबाल, मच्छल, लोलाब, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, किश्तवाड़ बॉर्डर पर बसते हैं । इसके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं, जहां पहाड़ी कबीले के लोग बसते हैं ।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि 50 सालों से अपने हकों की लड़ाई ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन मिलता क्या था ? लाठियाँ, मिलता क्या था ? जेल, मिलता क्या था- धक्के और उसके बाद फिर दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए इन पहाड़ी कबीले के लोगों को छोड़ दिया जाता था ।

महोदया, पहाड़ी कबीले में 80 प्रतिशत लोग हमारे मुसलमान भाई हैं । 80 परसेंट जो मुसलमान भाई हैं, वे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कभी भी इनको इंसाफ नहीं दिया गया । तीन खानदानों ने अपना दबदबा बनाए रखा । नेशनल कॉंफ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने अपना दबदबा बनाए रखा और पहाड़ियों को इंसाफ नहीं दिया गया ।

महोदया, 15 अगस्त, 2019 को लालकिले से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने पहाड़ी कबीले का जिक्र किया । तब पहाड़ियों को यह विश्वास हो गया कि अब हमें भी इंसाफ मिलेगा । उनको एक आशा बनी कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा ।

महोदया, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी 5 अक्टूबर, 2022 को राजौरी और कश्मीर में जाकर इन पहाड़ी कबीले के लोगों से मिले । उन्होंने स्वयं देखा कि इनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए। आज पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी स्टेट्स देने के लिए यहां चर्चा हो रही है । यह जो विधेयक लाया गया है, यह बहुत अच्छा विधेयक है । मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं ।

अंत में, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बड़ी बात यह है कि गूजर-बक्करवाल को पोलिटिकल आरक्षण मिला है । उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इस सरकार ने भरोसा दिलाया है । हमारे गूजर-बक्करवाल और गद्दी-सिप्पी भाइयों के लिए यह बहुत बड़ी बात है ।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ियों को आरक्षण दिया जाएगा । यह ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं । अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Madam Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on this important Bill. This Bill aims to include Valmiki community in the list of Scheduled Castes in Jammu and Kashmir. I welcome this Bill. This community will hereafter get an opportunity to get reservation and other benefits. I support this Bill and welcome it. There is a need to make amendments for the entire country. Particularly in Tamil Nadu, the people belonging to Baduga community of Nilgiris have been persistently demanding for including their caste in the list of Scheduled Tribes. Shri A. Raja, Hon MP of Nilgiri constituency has even demanded in this august House about the inclusion of Baduga community in the SC list. This request should also be considered sympathetically by this Government. On behalf of Viduthalai Chiruthaigal Party, its leader Shri Thol Thirumaa Valavan MP submitted a letter to the Hon Union Minister of Social Justice during the last Session of Lok Sabha requesting that the fishermen community of Tamil Nadu should be included in the list of Scheduled Tribes. This demand was put forth before the Hon Minister. I request that this genuine demand

should also be duly considered by this Government and due action be taken. Union government has the right to amend the list of SCs and STs. A Constitutional provision has given this authority to the Union Government. But the State Governments have powers to amend the list of OBCs in the State. During the time of British some castes in Other Backward category have been mentioned in a disrespectful manner. Those names have been amended and corrected by the Tamil Nadu Government. Similarly some castes in the list of SCs end with a suffix ? in? in Tamil which is disrespectful. It is a long pending demand that such cases should have a ?respect? giving suffix in place of a suffix ending in Tamil with ?in?. I request this Government to consider this demand as well. We have already submitted our demands before the Hon Minister in this regard. When such lists are created, they were subjected to several amendments or changes. Particularly in Tamil Nadu, when the Justice Party was in power in the year 1922, the people belonging to Adi Dravida community wanted them not to be called as Paraiyars or Panchamars. Shri M.C. Rajah and Shri Rettamalai Srinivasan had fought for this cause and got an Government order dated 25th March 1922 for this community to be recorded as Adi Dravidas. As a result of which they got the name Adi Dravidas. But in the 1931 Census, the rendering of such caste names was made as it was earlier. This confusion continues for more than 100 years. I request that necessary amendments be made in this regard at the earliest. Thank you for this opportunity.

श्री मलूक नागर **(बिजनौर):** सभापति जी, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर से संबंधित एससी, एसटी बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि लोधी के जमाने से, फिर मुगल्स के जमाने में, फिर अंग्रेजों के जमाने में जो मुस्लिम गुर्जर आज बने हुए हैं, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, वे बहुत परेशान है । वे जम्मू-कश्मीर में एसटी में आते हैं । उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ाइयां लड़ीं । बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर लड़ाइयां लड़ते रहते हैं । उन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ीं ।

18.00 hrs

मैं उनके लिए मंत्री जी से कहना चाहूंता हूं । जुगल किशोर जी ने बहुत अच्छे से बोला । मैं उसी परिप्रेक्ष्य में जुड़ते हुए बताना चाहता हूं, जम्मू-कश्मीर में कुछ ही परिवार, कुछ ही पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉफ्रेंस उनसे वोट लेती रहीं और उनका शोषण करती रहीं ।

माननीय सभापति **:** सभा की सहमति हो तो दोनों विधेयक के पास होने तक सभा का समय बढ़ा दिया जाए ।

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री मलूक नागर **:** सभापति महोदया, ये हमेशा उनका वोट लेते रहें, रिश्तेदारी करते रहे, लेकिन उनको दिया कुछ भी नहीं । धारा 370 हटने के बाद सरकार ने उनको काफी कुछ दिया । जो उनको सुविधाएं दीं, बाबा साहब की

जो सोच थी, बाबा साहब ने कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में कई बार कहा, उनको जो सुविधाएं मिली हैं, उस बारे में आए दिन कुछ न कुछ अफवाहें चलती रहती हैं ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कभी भी मुस्लिम गुर्जरों को जो आरक्षण दिया गया है, उसे कभी कम न किया जाए । अगर किसी को देना भी हो तो अलग से दें, उनका आरक्षण कभी कम न किया जाए । देश की बाउंड्री पर उनके लिए कॉलेज और सुविधाएं बनायी जाएं, एसईजेड बनाकर उनको रोजगार की सुविधाएं दी जाएं ।

पूरे देश में जो दलित और आदिवासी हैं, वे बहुत परेशान हैं । प्रदेश और जिला स्तर पर कुछ कमेटी बनाकर सर्वे कराया जाए । जिनके पास घर बनाने या छोटी मोटी खेती करने के लिए जमीन नहीं है, गांव में सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी हुई, जो सरकारी जमीन हैं, उनको अलॉट करके घर बनाने के लिए दी जाए जिससे उनको भी लगे कि यह देश हमारा भी है ।

पिछले दिनों बड़ा संघर्ष हुआ, राजस्थान के गुर्जरों ने बलिदान दिया । 83 गुर्जरों ने बलिदान दिया था । पिछली कांग्रेस की सरकार बहकाती रही कि नौवीं सूची में डालने के लिए भारत सरकार को भेज दिया है । अब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है । राजस्थान के गुर्जरों को नौवीं अनुसूची में डालकर दलित का दर्जा दिया जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Thank you, Madam. I thank my party, All-India Trinamool Congress, for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023.

It is a pleasure to see that this Government is finally giving respect to the Valmiki Community through the Scheduled Caste Order and the Koli Community and the Pahari Ethnic Group through the Schedule Tribe order. But, at the same, time, it is extremely disheartening to see what this Government is doing with the SCs, STs and OBCs across the Country. Has it been fulfilling the reservation facilities already in vogue in other parts of the country? Has there been any specific object to uplift the people of Jammu and Kashmir by the Government of India?

That needs to be clarified. No specific projects or ideas have been tabled in the House to improve the lives of the people of Jammu and Kashmir. Only implementation of reservation policy will not serve the purpose. In the perspective of coming elections, this has been initiated by the Central Government.

Provision of punishment for atrocities on backward people has not been highlighted. In 2022 alone, there were nearly 60,000 atrocities against the Schedule Castes and 10,064 atrocities against the Schedule Tribes. As per the NCRB data, the crime against tribals has been increasing year after year. Just in 2 years, from 2020 to 2022, there has been nearly 22 per cent increase in crimes against tribals.

Madam, the gross enrolment ratio of SC and ST students at the undergraduate level is at 23 per cent and 17.2 per cent respectively whereas the national average is 26.3 per cent. As per the Union Government initiative, the Eklavya Schools are meant for the SC and ST students. But, still, 38,000 vacancies across the country have not been filled up. आप स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजज बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं । अगर वैकेन्सीज फुलफिल नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? स्टूडेंट्स आएंगे और पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं रहेंगे तो कैसे होगा ।

Madam, even as per the recent data, we have witnessed that the amount allotted for the Union Government?s Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes and the Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes has been underspent. Sir, these schemes underspent nearly 28 per cent and 24 per cent of the amount respectively.

माननीय सभापति **:** अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए । धन्यवाद ।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** मैडम, अच्छी बात बोल रही हूं, आप सुनिए ।

माननीय सभापति **:** किसी और को भी अच्छी बात बोलने दीजिए ।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** अगर इतना अच्छा विकास दस साल से भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार कर रही है तो फिर ये लोग इलैक्शन से क्यों डर रहे हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** गोड्डेति माधवी जी ।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** देश या कश्मीर की जनता तय कर देगी कि इन लोगों ने अच्छे काम किए हैं। इन लोगों को, जम्मू-कश्मीर का स्टेटहुड वापिस करवा दीजिए । डिमोनेटाइजेशन के नाम पर देश की आवाम, जनता लाइन में लगी रही, कितनों ने अपनी जान गंवा दी । ? (व्यवधान) आज तक टेररिज्म बंद नहीं हुआ । हमारे जवान आए दिन अपनी आहूति दे रहे हैं । आप तो फैडरल स्ट्रक्चर को हर्ट कर रहे हो, आहत कर रहे हो । दिन-ब-दिन इस तरह की घटना होगी, यह सही बात नहीं है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** बंगाल में ममता बनर्जी ने शैड्यूल्ड कास्ट एडवाइजरी काउंसिल सैटअप किया है जो अभी तक किसी स्टेट ने नहीं किया है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** गोड्डेति माधवी जी ।

? (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** मैडम, एक मिनट दे दीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** ठीक है, एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए ।

श्रीमती अपरूपा पोद्दार **:** मैं एक मिनट में अपनी बात कम्पलीट कर दूंगी ।

Madam, in fact, the Ministry spent only 20 per cent less than what they were allotted. We need more schemes for the welfare of students and also for the welfare of SCs, STs, OBCs and the minorities. We have started Kanyashree scheme which is benefitting 78 lakh women in West Bengal and which has been recognised by the United Nations. यह आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ।

ममता दीदी की सरकार ने शैड्यूल्ड कास्ट एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जो किसी भी स्टेट में नहीं है । हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी भी दलित हैं, शैड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से हैं । नया पार्लियामेंट हाउस जब इनऑगरेट हुआ था**,** उसमें वह नहीं आई थीं । कपूरिया जी ने हम लोगों को सिखाया है । ? (व्यवधान) अगर सही मायने में उन थॉट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबको लेकर चलना चाहिए । ? (व्यवधान) इस तरह पागलों के जैसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** धन्यवाद ।

_____ -

18.08 hrs

माननीय सभापति **:** गोड्डेति माधवी जी ।

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, Madam, for giving me the opportunity to participate in this discussion. This is a welcome step, and I fully support it. I would also take this moment to highlight the issues faced by the Scheduled Tribes throughout the nation and make a few suggestions on the same.

Tribal people are estimated at 10.4 crore and cover 8.61 per cent of the country?s total population as per the End-of-the-Year Review 2022 of the Ministry of Tribal Affairs.

Even after 75 years of Independence, tribal community is the most disadvantaged in terms of access to sanitation and hygiene, education, nutrition, drinking water and medical services.

Now, I come to education. The Government should focus more on tribal education, especially at the primary level. In tribal regions, the majority of schools suffer from inadequate infrastructure, often lacking essential learning materials and basic sanitary facilities

Owing to the perceived absence of immediate economic benefits associated with education, tribal parents often prioritise engaging their children in financially rewarding employment opportunities.

Furthermore, many educational initiatives targeting tribal communities are formulated in official or regional languages that are unfamiliar to tribal students, which is a challenge in effective learning.

Tribal communities comprise over seven per cent of the Andhra population. The 30 Eklavya Model Schools that have been established are concentrated in only eight out of 26 districts. Therefore, to provide quality education to the tribal students, there is a need for more Eklavya Model Residential Schools in all tribal districts of the State and the country with adequate availability of teachers.

So far as health issues are concerned, provision of emergency transportation for pregnant tribal women to health facilities for obstetric care is one of the major necessities of the tribal women. Establishment of more Mini-Anganwadi centres and expansion of Village Grain Banks to tribal areas can help increase the access to nutrition in the tribal areas.

Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes at senior positions is very low.

Our esteemed Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu has extended the SC/ST sub plan of Andhra Pradesh further by 10 years to provide more growth and development opportunities to the tribal population of Andhra Pradesh. I would request the Minister to address the issues raised by us and take our suggestions into account.

With this, YSR Congress Party supports this Constitution Amendment Bill. Thank you.

श्री अरविंद सावंत **(मुम्बई दक्षिण):** धन्यवाद सभापति महोदया । इस संविधान के संशोधन बिल पर 1956 की अनुसूची में प्रविष्ट करने के लिए जम्मू-कश्मीर की वाल्मीकि कम्युनिटी और इसके साथ चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि, मेहतर जैसे जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, उस हेतु मेरी पहली प्रार्थना है कि भंगी शब्द यहां से कैसे आप हटा सकते हैं, इसे कृपया देखें । हालांकि समाज को इसे प्रयोग करना है, लेकिन इस शब्द को आगे चलकर जिंदगी में कभी प्रयोग न करें । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि इसमें जो लास्ट में फाइनेंशियल प्रोविजन है, उसमें कुछ भी नहीं किया गया है । मेरी प्रार्थना है कि यदि आगे चलकर आप निधि की उपलब्धता नहीं कराएंगे, तो दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे-जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, तो निधि की उपलब्धता होनी चाहिए ।

महोदया, मैं एक और बात कहना चाहता हूं । वहां चुनाव तो नहीं हो रहे हैं । अनुच्छेद-370 खत्म करने के बाद हम चाह रहे थे कि लोग कश्मीर में आ जाएं, हिंदुओं का फिर से वहां पुनर्वास हो, जो आज भी नहीं हुआ है । मैं एक थोड़ी-सी अलग बात एक मिनट में कहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी इतनी अधिक परेशानी है कि पूरा महाराष्ट्र जातियों की लड़ाई में खड़ा हुआ है । मराठा को आरक्षण चाहिए, ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही है । मैडम पीछे बैठी हुई हैं, आप उनसे पूछिए कि वहां पर क्या हालात हो रहे हैं । आदिवासी आंदोलन हो रहे हैं, धनगर आंदोलन कर रहे हैं । आप जिसे सिनॉनिम कहते हैं, उसी शब्द का प्रयोग वहां है । कार्य तो वही है, जैसे कि धनखड़ है, वैसे ही वहां धनगर जाति है । उनको आज भी आरक्षण नहीं मिल रहा है । मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए ।

महोदया, मेरी सबसे महत्वपूर्ण मांग आज यह है कि 50 प्रतिशत की मर्यादा जो संविधान ने रखी है, उस मर्यादा के तहत हम कार्य कर नहीं पा रहे हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि वह मर्यादा अगर बढ़ाई जाएगी, तो आज जो सारे आंदोलन शुरु हुए हैं, वे खत्म हो जाएंगे । देश में जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, वे चाहे किसी भी तरह की हों, एक बार उस राज्य को पूछकर उनको आरक्षण दीजिए । हम अगर 50 प्रतिशत में 10 प्रतिशत बढ़ाते हैं और 60 प्रतिशत करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में मुझे लगता है कि 69 प्रतिशत है । उसी तरह आप प्रतिशत बढ़ा देते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद अगर आप राज्य को कहें कि यदि आप पिछड़ी जातियों के नाम पर लड़ाई करते रहे, चाहे धनखड़ हो या धनगर हो, तो केवल एक अक्षर के लिए किसी समाज को वंचित रखना सही नहीं होगा ।

अत: मेरी प्रार्थना है कि सरकार यदि यह सोचे कि 50 प्रतिशत की जो मर्यादा है, उसे वह खत्म करे, तो बहुत अच्छा काम होगा । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । इसके लिए निधि की उपलब्धता करिए । वहां चुनाव, पढ़ाई और जॉब में इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं । जय हिंद, जय महाराष्ट्र ।

श्री दिलेश्वर कामैत **(सुपौल):** सभापति महोदया, आज आपने मुझे दो बिलों, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, पर बोलने का अवसर दिया है । इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

महोदया, मैं दोनों विधेयक का समर्थन करता हूं । संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 वाल्मीकि जाति को लक्षित करता है । संवैधानिक संशोधन में वाल्मीकि समुदाय को जम्मू-कश्मीर के अनुसूचित जाति सूची में जोड़ने का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है । वाल्मीकि जाति को जम्मू-कश्मीर में प्रवास करने के लगभग 60 साल के बाद वर्ष 2020 में ही अधिवास का दर्जा दिया गया था । वर्ष 1957 में जम्मू में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद वाल्मीकि समुदाय के तीन हजार से अधिक सदस्य

पंजाब के गुरुदासपुर से चले गए थे । यह समुदाय मुख्य रूप से जम्मू शहर और उसके आस-पास की कॉलोनियों में रहते हैं । शेड्यूल्ड कास्ट सूची में वाल्मीकियों को शामिल करने से वे नौकरी, पदोन्नति और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे । इसलिए, यह बिल बहुत ही सराहनीय है ।

महोदया, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडरी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूहों को शामिल किया गया है । इस संशोधन विधेयक, 2023 का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 के इन प्रस्तावित परिवर्तनों के बाद की धारा-2 को प्रतिस्थापित करके औपचारिक रूप देना है, जिससे विशिष्ट निर्दिष्ट किया जा सके । यह पदनाम उन्हें विशिष्ट संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण शामिल हो सके ।

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू-कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडरी कबीला तथा पहाड़ी जातीय समूह के समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 को संशोधन करके इसे पारित किया ।

अंत में, मैं इस अवसर पर भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार में भी केवट, कउर, केवर्त्त, धानुक, कहार, अमात, बिन्द, बेलदार, गंगौत, गोढ़ी, नूनिया तथा तरहा को अनूसुचित जनजाति का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार ने अनुशंसा करके केंद्र सरकार का भेजा है । इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिससे इन सभी समाज को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके ।

मैं दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र माझी **(**नबरंगपुर**):** धन्यवाद सभापति महोदया । आज The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023 पर चर्चा हो रही है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । यूनियन टेरिटरी जम्मू व कश्मीर एडिमिनिस्ट्रेशन ने इन कम्युनिटी, गद्दा ब्राह्मण, कोली, पाडरी जनजाति तथा पहाड़ी जातीय समूह को एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए रेक्मेंड किया है । इसकी डिमांड वर्ष 1980 से ही हो रही है ।

जो पहाड़ी कम्युनिटी हैं**,** उनको जस्टिस जी डी शर्मा कमीशन ने भी रेक्मेंड किया था कि इनको एसटी दर्जा दिया जाए । अगर आप ओडिशा में देखेंगे तो वहां लगभग 69 कम्युनिटीज हैं । ओडिशा के माननीय मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने रेक्मेंड किया था कि वर्ष 1978 से अब तक 169 कम्युनिटीज को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए । मेरा जो संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर है, वहां कोरापुट जिले के कुंदुरा, बोइपरिगुदा और कोतापद इलाके में धुरवा समुदाय के लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, उनको भी जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए ।

महोदया, मेरा एक सुझाव है कि 169 जातियों के लिए जो प्रपोजल आया है, मेरे संसदीय क्षेत्र की धुरवा और कोंडा रेड्डी कम्युनिटीज़ हैं, वे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं । अगर उनको देखेंगे, तो दुख लगेगा । इसीलिए मेरा निवेदन है कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए । आज जो बिल लाए गए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले **(**बारामती**) :** महोदया, मैं संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए एनसीपी पार्टी की तरफ से खड़ी हुई हूं ।

महोदया, अर्जुन मुंडा जी मंत्री हैं, अभी तो उन पर दोगुनी जिम्मेदारी है । उनको कृषि विभाग भी मिल गया है । मुझे समझ में नहीं आता है कि वे हमसे नाराज़ हैं या फिर गुस्से में हैं, क्योंकि वे एससी/एसटी कम्युनिटी के बहुत सारे छोटे-मोटे बिल्स लाए हैं, लेकिन इतने सालों से महाराष्ट्र राज्य की जो मांग है, उस पर वे हमें न्याय नहीं दे रहे हैं । मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहती हूं । जैसा कि अरविंद जी ने कहा है, आज महाराष्ट्र में किसानों का कर्जा माफी के लिए सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है । दूसरा, मराठा समाज और महाराष्ट्र के सुपुत्र जारांगे पाटिल जी हैं, वे आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं ।

तीसरा, धनगर समाज का भी आंदोलन है । भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 साल पहले धनगर समाज से वायदा किया था कि आपकी जो मांग है, हम आपको आरक्षण दे देंगे, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ । उसके बाद लिंगायत समाज, मुस्लिम समाज, भामटा, रामोशी और जो वीजेएनटी हैं, वे एसटी में आना चाहते हैं । मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी । अरविंद जी ने भी धनगर और धनगड़ कम्युनिटी के बारे में कहा है । टाकनकर और टकारी दोनों एक ही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है । मेरी आपसे विनती है, क्योंकि अर्जुन जी हमेशा जवाब भी देते हैं । आपका कहना है कि यदि राज्य प्रपोजल भेजेगा, तो मैं जरूर सोचूंगा । मैं मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टकारी, भामटा, रामोशी इत्यादि के बारे में सोचूंगा, आप हमेशा ऐसा वादा करते हैं । मैं आपकी आभारी हूं, लेकिन ये फिर कहां रुक गया? महाराष्ट्र सरकार में तो आपके 200 एमएलएज़ हैं, प्रपोजल भेजने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी । यहां तो आपके 303 सांसद हैं, तो फिर ये आरक्षण कहां अटका है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आपने अनेक राज्यों के लिए किया है, तो फिर आप महाराष्ट्र के लिए आरक्षण के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर छोटे-मोटे बिल लाने की बजाय, पूरे देश के लिए एक बड़ा बिल लाया जाए, तो हर राज्य को न्याय मिलेगा । आप देख रहे होंगे कि कल हमारे कर्नाटक राज्य से एक भाई बोल रहे थे, वे भी धनगर और लिंगायत समाज के लिए आरक्षण मांग रहे थे । हमारे यहां भी मराठा, लिंगायत, मुस्लिम समाज मांग कर रहे हैं, तो इन 10 सालों में सरकार एक बड़ा-सा बिल लेकर आती, तब ऐसी समस्या ही नहीं आती और लोगों को आंदोलन नहीं करना पड़ता । इसकी समय-सीमा क्या है? आप इसको कब लाएंगे और सरकार का स्टैंड क्या है? सरकार एक बार यह तय कर ले कि आपको उन सबको आरक्षण देना है या नहीं देना है । महाराष्ट्र में कहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण दे देंगे, मुस्लिम समाज को देंगे, लिंगायत समाज को देंगे, टकारी समाज को देंगे, वीजेएनटी समाज को देंगे, रामोशी समाज को देंगे और धनगर समाज को देंगे, लेकिन जब दिल्ली आते हैं, तब मंत्री जी कहते हैं कि प्रस्ताव ही नहीं आया है । क्या ये जुमलेबाजी है? मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि हम 10 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है । हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं । अर्जुन मुंडा जी बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री हैं और वे महाराष्ट्र को न्याय देंगे ।

श्री मोहम्मद सदीक **(**फरीदकोट**) :** सभापति जी, मुझे आपने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

सभापति जी, यह ठीक है कि सरकार जम्मू-कश्मीर की चार जातियों को यानी ?गड्डा ब्राह्मण?, ?कोली?, ?पद्दारी जनजाति? और ?पहाड़ी जातीय समूह? को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहती है। इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है । मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसका आदर करता हूं । इस जाति

के जो लोग हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आज पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, माइनोरिटी, एससी और एसटी के लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । सरकार की नीतियां कुछ इस तरह हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि ?अग्गा दौड़ ते पीछा चौड़?, यानी नीति बना लेते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता है ।

मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि एक तरफ तो गरीबों के बच्चों के वज़ीफ़े के फंड्स काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ अंतरिम बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने कॉर्पोरेट घरानों के टैक्स में कटौती कर दी है, यानी 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करके ?अंबानी और अडानी? कंपनियों को 3,000 करोड़ रुपयों का फायदा पहुंचाया है ।

महोदया जी, यह सरकार जितनी कागजों में है, आंकड़ों में है, उतनी ग्राउण्ड पर नहीं है । मैं आपसे विनती करता हूं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह सरकार अपने भाषण में तथा अपने अखबारों में पिछड़ों, गरीबों को बड़ी इज्जत एवं बड़ा प्यार देती है, लेकिन इसकी असलियत का इस बात से पता चलता है कि एक आदिवासी महिला को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बनाया गया, लेकिन उनको पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया । उनको श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं बुलाया गया । यह इनके बोलने, कहने और अखबारों में देने की बातें हैं । ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** ठीक है । धन्यवाद । अब आप बैठ जाइए ।

श्री मोहम्मद सदीक **:** मैडम, एक मिनट और दीजिए । मैं तो पहली बार बोल रहा हूं ।

माननीय सभापति **:** ठीक है, आप बोलिए । आप एक मिनट ले लीजिए ।

श्री मोहम्मद सदीक **:** मैडम, मैं सब कुछ देखकर यह कह रहा था कि श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा में भी उनको नहीं बुलाया गया । मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि वे आदिवासी महिला हैं और आपके दिल में उनके लिए सत्कार कितना है? सिर्फ उनको बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका उतना सत्कार करना भी बहुत जरूरी होता है । हमारे पंजाब के किसान भी आ रहे हैं ।

मैडम, मेरा आपसे छोटा सा प्रश्न है । कुछ जातियां और हैं, जो आजकल इसके लिए बहुत ही यत्न करती हैं । वे बहुत ही गरीब लोग हैं । आप उनका थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए । उन जातियों में डूम, ढाढ़ी, मर्दाने के, मीर आलम जाति के लोग हैं । ये गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं । अगर यह बात सरकार तक पहुंच जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी । आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । धन्यवाद ।

श्री भोला सिंह **(**बुलंदशहर**) :** सभापति महोदया, धन्यवाद । आपने मुझे संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने का मौका दिया ।

महोदया, इस बिल के आने से जम्मू कश्मीर के वाल्मिकी समाज के वंचित वर्ग को जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे, जो आरक्षण के लाभ से वंचित थे, इस बिल के पास होने से उनको वह लाभ मिलेगा, वह अधिकार मिलेगा । बाबा साहेब अंबेडकर जी का स्वप्न था कि देश के हर गरीब, हर दलित, हर वंचित को जीवनयापन की सारी सुख-सविधाएं मिलनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए । पिछले दशकों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग, हर गरीब, हर महिला, हर युवा, हर किसान को उसके जीवनयापन की सुविधाएं और आवश्यकताएं योजनाओं के माध्यम से दी जा रही हैं। उसमें चाहे अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा करना हो, उनको सम्मान देना

हो, चाहे योजनाओं के माध्यम से संपूर्ण वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, चाहे उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की योजनाएं हों, चाहे अनुसूचित समाज और अन्य समाज के सभी महापुरुषों को सम्मान देने के साथ-साथ उनका कार्य हो । बाबा साहेब अंबेडकर जी ने देश के दलितों के लिए संविधान लिखा और उस संविधान के माध्यम से देश के हर गरीब को उसका अधिकार मिला, लेकिन बाबा साहेब के हित में जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार के समय नहीं मिल पाया ।

सभापति महोदया, माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहेब अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए, जो उनके जीवन से जुड़े पांच स्थान थे, उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके बाबा साहेब अंबेडकर जी को सम्मान देने के साथ-साथ देश के सभी अनुसूचित वर्ग और सभी घरों को सम्मान देने का काम किया गया है । अनुसूचित जाति के धार्मिक हितों को ध्यान में रखते हुए संत शिरोमणि रविदास जी का सागर, मध्य प्रदेश में स्मारक के जीर्णोद्धार का कार्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने सौ करोड़ रुपये की राशि से शुरू किया । यह सभी रविदास समाज के भाइयों और अनुसूचित वर्ग के लिए सम्मान की बात है ।

हम गांव में बचपन में और अभी तक देखते थे कि वाल्मीकि समाज गांव में सफाई करने का काम, मैला उठाने का काम करता था । लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी बने तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चलाया और उस स्वच्छ भारत अभियान में देश के सभी नागरिक हाथ में झाड़ू लेकर सफाई में लगे तो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को कोई यह नहीं कह सकता कि यह सफाईकर्मी है तो वाल्मीकि समाज का ही होगा । यह सम्मान देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ । हम देखते थे कि गांव में वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी थे, वे गांव में मल उठाने का काम करते थे, लेकिन उनके घर में शौचालय निर्माण करने का काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देने का काम किया। इसके साथ-साथ देश के सभी अनुसूचित समाज के जो लोग हैं, उनको योजनाओं के माध्यम से सम्मान देने का कार्य हुआ है । सफाईकर्मी, जो पहले हाथ से मैला उठाते थे, उनके लिए मैकनाइज करके, उनको उससे मुक्ति देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है । हमने देखा कि जब प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में कुम्भ का मेला लगा, उस कुम्भ के मेले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सफाईकर्मियों के पैर धोकर सम्मान करके, उनको सम्मान देने का काम किया । हमने देखा है कि अभी हम सबका 500 साल का सपना साकार हुआ और वह सपना भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और मूर्ति की स्थापना में जब अयोध्या में हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर देने का काम किया । यह सभी अनुसूचित वर्ग के लिए सम्मान की बात है । देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया तो 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 और 35 ए को हटाने का बिल देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह लेकर आए और उस बिल के हटने के बाद देश के जम्मू-कश्मीर के जो वंचित लोग थे, जो अनुसूचित वर्ग के लोग थे, जो योजनाओं से वंचित थे, उनको अधिकार और योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया है । आज माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लेकर आए हैं । इस विधेयक के माध्यम से अभी तक जो वाल्मीकि समाज प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित था, जो अधिकारों से वंचित था, उनको अधिकार देने का काम इन बिलों के माध्यम से होगा । उन सभी को प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार और रिजर्वेशन के माध्यम से उनका लाभ मिलेगा तो उनको ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका में और विधान सभा और लोक सभा में आने का मौका मिलेगा । मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि देश के सभी अनुसूचित वर्ग के और जो हमारे समाज के मसीहा थे, उन सबको सम्मानित करने का काम किया है । मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): महोदया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे शेड्यूल्ड कास्ट्स बिल, 2023 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल, 2023 पर बोलने की इजाजत दी । जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस का दूसरा नाम समाजी इंसाफ है । जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस ने ही सबसे पहले सारे सबकॉन्टिनेंट में लेण्ड टू टिलर प्रोग्राम के तहत कोई 34 लाख कैनाल जमीन ट्रांसफर की, जो बगैर किसी मुआवजे के थी और उसमें से 70 फीसदी जम्मू में शेड्यूल्ड कास्ट तबके को मिली थी । जहां तक पहाड़ी तबके को शेड्यूल्ड ट्राइब देने का मामला है, हमारा यह पहले ही माकूफ रहा है, जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, गुज्जर और बक्करवाल को, उसी दिन से हमारा यह मॉकिफ रहा है कि पहाड़ी को भी देना चाहिए ।

बल्कि इसके सिलसिले में हमने हमारी केबिनेट में बाज़ायफ्ता एक रेज़ोल्यूशन हुआ और हमने एक कम्यूनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्रेस किया कि इनको भी दिया जाए जो गुज्जर-बक्करवाल हैं, जो उनका कोटा है, जो उनका हक है, उसको डायल्यूट किए बिना, उसको मुत्तासिर किए बिना । वर्ष 1980 की दहाई में भी यह प्रपोज़ल जम्मू-कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस की हुकूमत की तरफ से भेजा गया था । उसके बाद जब अनदेखी की गयी तो हमने 4 परसेंट का कोटा मख़सूस रखा, लेकिन उसका भी सबोटाज उन्होंने किया जो आज पहाड़ी के बारे में बोल रहे हैं । हमारा पहले दिन से ही यह रहा है कि जो जम्मू-कश्मीर का बक्करवाल तबका शेड्यूल्ड ट्राइब का तबका है, उनके हक को डायल्यूट किए बिना, मुत्तासिर किए बिना, कम किए बिना उनको यह हक दिया जाए । इसके बारे में सरकार गारंटी दे रही है । हम चाहते हैं कि हाउस को एतमाद में लिया जाए कि आप कैसी गारंटी लाएंगे? क्या आप अपर कास्ट में कुछ चैंज करेंगे? हमारा यह बिलकुल क्लीयर स्टैंड है कि जो इस वक्त क्लीयर स्टैंड है कि जो इस वक्त गुज्जर-बक्करवाल शेड्यूल्ड ट्राइब कम्यूनिटी है, उसके हक को डायल्यूट किए बिना, जो हमारा पहले से मोकिफ रहा है, पहाड़ी को दिया जाए ।

हमारा इस पर बिल्कुल स्पष्ट मत रहा है । आज ये जो बात कर रहे हैं, वह उसी पार्टी की बात कर रहे हैं, जिसके साथ ये हुकूमत में रहे हैं । तब इनको पहाड़ी लोगों की याद नहीं आई, लेकिन अब आ रही है तो ठीक है । हमारी यह मांग सन् 1980 के दहाई से ही है । हमने यह कहा है कि इनको वह हक दिया जाए । एक बात यह है कि हम यह बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं कि सरकार हाउस को कॉन्फिडेंस में ले । आप कह रहे हैं कि डाइल्यूट किए बिना हम उनको उनका हक देंगे तो आप उसे कैसे करेंगे? उसकी मॉडेलिटीज़ क्या होंगी, मेथोडोलॉजी क्या होगी, आप उसके बारे में भी बताइए । मैं यह वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही जो डिप्राइव्ड हैं, डिस्एम्पावर्ड हैं तथा आखिरी पायदान पर है, उनके साथ खड़ी रही है और जैसा कि मैंने कहा कि पूरी बर्र-ए-सग़ीर में लैंड रिफॉर्म का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था । हमने 34 लाख कनाल जमीन ट्रांसफर की, जो कि जम्मू में 70 फीसदी शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के हाथ में गई । आज की तारीख में जब आप यह प्रयास कर रहे हैं तो हम यह बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि हमने अपनी टर्म में उनको जो चार फीसदी कोटा दिया था, उसे आपने क्यों सबोटाज किया था? तब आपकी हमदर्दी कहां पर चली गई थी? अगर आज है तो आप यह कैसे गांरटी देंगे? यह जरूर हो, गारंटी हो और हाउस को एतबार में लिया जाए । मंत्री जी हाउस में यह कहें कि वहां जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो गुर्जर-बकरवाल हैं, उनका जो हुकूक है, उनको मुतासिर किए बिना आप कैसे उनको उनका हक देंगे । पहाड़ी लोगों के लिए सन् 1980 के दहाई से ही हमारा सपोर्ट रहा है । हमारा यह मुतालबा रहा है कि इनको आरक्षण दिया जाए । इस पार्टी की तरह नहीं, जो आज यह बात कर रही है, लेकिन आज से पहले ये जब सरकार में थे, तब इनको उनकी याद नहीं आई ।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Madam, thank you for giving me an opportunity to speak on The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023. I would like to welcome and support this Bill.

Madam, many communities which have been deprived for long have been included in this List. Similarly, I would like to request that in my Parliamentary constituency of Dharmapuri, in the Assembly Constituencies of Pappireddipatti, Harur, Dharmapuri, Palacode, Pennagarm and Mettur, there are many communities, especially the Kurumbar community and the Lambadi community, which have been demanding ST status for a very long time.

We have approached the State Government and the representatives of both the Lambadi community and the Kurumbar community have met the hon. Chief Minister, Shri M.K. Stalin, and have made a demand. I would like to place on record over here that our Tribal Affairs Minister, Shri Arjun Munda, has been very helpful. Whenever we approached him, he has always assured us that whenever the recommendations come from the State Government, he will be very helpful in having these communities listed.

I would like to place on record that the Tamil Nadu Government has forwarded the case of Kurumbar community to the Central Government. They are the 13th synonym and because of no fault of theirs, many youths belonging to that community lost reservation in work and education. When the British handed over the Government, because of phonetic variations like Kurumbar, Kurumba, Kurumbans, many communities were left out. But the Tamil Nadu Government has forwarded their case to the Central Government and it is now with the Tribal Affairs Minister. I would like to know when it would come into effect so that the youths belonging to these communities could be benefited.

Regarding the Lambadi community, it is a Scheduled Tribe community in the adjoining States of Karnataka and Andhra Pradesh, but not in Tamil Nadu. The State Government of Tamil Nadu has gone for a new ethnic study. As soon as that study is over, we will process it to the Union Government. We request the Government that both the communities be included at the earliest.

Madam, I would also like to take this opportunity to demand, through you, an Eklavya School in my Parliamentary constituency of Dharmapuri in various hill areas.

Lastly, I would like to urge upon the Union Government to come up with a caste census at the earliest so that all the representatives of various ethnic groups, Scheduled Tribes, underprivileged and marginalized people get a say. So, I demand a caste census at the earliest.

With these words, I conclude my speech.

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Madam Chairperson, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on this very important Bill.

People belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes constitute more than 25 per cent of population in our country. Their population has increased. But only the SCs are given 15 per cent reservation and STs are given 7.5 per cent reservation. My first and foremost demand would be that people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given reservation as per their population.

Similarly in some States, the rendering of some caste names of SCs and STs are disrespectful. This is not only prevalent in Tamil Nadu but also in all other States of our country. State Governments do not have any power to change or amend such rendering of caste names. They have only the recommending powers. Therefore, I urge upon the Union Government to bring amendments to the Constitution extending powers to States to amend the rendering of such Caste names in the lists of SCs and STs. This amendment is very much necessary for the people belonging to these communities. Therefore, I urge upon the Union Government to bring necessary amendments to the Constitution of India extending powers to States to amend the rendering of such Caste names which are ?disrespectful? in the list of SCs and STs.

In Tamil Nadu, there are 74 Castes in the list of Scheduled Castes. Out of which, the following castes do have the physical and cultural traits of a nomadic tribe. They are communities or castes less than 1000 in number. Some communities are even less than 100 in number. Baira, Bakuda, Bandi, Bellara, Domban, Godagali, Godda, Gosargi, Holeya, Jaggali, Jambuvulu, Koosa, Kuravan, Nayadi, Vetan, Vettuvan are the Scheduled Castes who can be called as microscopic minorities or the negligible minorities among this lot. People belonging to these Scheduled Castes which I have listed are unable to compete with other SCs in the list who are more in number than them. They are deprived of getting education and employment opportunities

among this lot. Anthropologically they are belonging to nomadic tribes. If such Castes are included in the list of Scheduled Tribes, they may get opportunities in getting education and employment. I, therefore, urge upon the Union Minister to include these Scheduled Castes in the list of STs.

I also associate with the demand put forth by our Hon MP Shri DNV Senthil Kumar for including the people belonging to Kurumba and Lambadi tribal communities in the list of Scheduled Tribes. I urge the hon. Union Ministers to accept this demand and include them in the list of STs.

Thank you.

श्री तापिर गाव **(**अरुणाचल पूर्व**):** सभापति महोदया, आज मैं the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023. का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं । कश्मीर को स्वर्ग से सुंदर कहा जाता था । हम लोग यह सुनते थे, लेकिन शेडयुल्ड कास्ट और शेडयुल्ड ट्राइब्स के रिप्रजेंटेटिव्स नहीं होने के कारण उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है । मैं मसूदी साहब और आईएनसी से पूछना चाहता हूं कि इन 70 सालों में जम्मू-कश्मीर में इन समाज के साथ बहुत अन्याय किया गया । अगर मोदी साहब सत्ता में नहीं आते, वे अनुच्छेद 370 नहीं हटाते, असेम्बली में रिजर्वेशन नहीं लाते, आज वे पंचायती राज में रिजर्वेशन ला रहे हैं, वे म्यूनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन ला रहे हैं । मैं सभी गुर्जर, पहाड़ी, मेहतर, बागी, वाल्मीकि और सूरा समाज के लोगों की तरफ से मोदी साहब और अर्जुन मुंडा साहब को धन्यवाद देता हूं ।

अगर यह न्याय मसूदी साहब की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्ष पहले किया होता तो सही में जम्मू-कश्मीर सबसे सुंदर होता । लेकिन इतना अन्याय होने के बावजूद भी, आज मोदी साहब ने आकर, यह मोदी जी की गारंटी है कि जम्मू-कश्मीर के डाउन ट्रोडन और नेगलेक्टेड समाज मेनस्ट्रीम में आ रहा है, इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । मोदी जी द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद और आज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज में रिजर्वेशन का रूल लाने के बाद, असेम्बली में रिजर्वेशन लाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मसूदी साहब कश्मीर सबसे सुंदर है । इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । इसके साथ ही मैं अर्जुन मुंडा साहब को एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूं । मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं । अरुणाचल प्रदेश में एक योबिन समाज है । योबिन ट्राइब म्यांमार, तिब्बत और चाइना बॉर्डर पर रहने वाली एक कम्युनिटी है । अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट में उसे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है । उसके लिए भी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया जाए । योबिन समाज की एक बहुत लॉन्ग-स्टैंडिंग डिमांड है । आप एक दिन इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर इन लोगों को भी ट्राइबल का स्टेटस, कॉन्स्टीट्यूशनली ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए तो यह अच्छा रहेगा । यह मैं आपसे मांग करता हूं । मैं जम्मू-कश्मीर के भाई-बहनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, मोदी साहब को भी धन्यवाद देता हूं । पार्टिशन होने के बाद जब मनमोहन सिंह साहब प्रधान मंत्री बने और हमारे वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन लोगों के साथी जो कश्मीर में बसे थे, मोदी जी के आने से पहले इन लोगों को कोई वोटिंग राइट ही नहीं था । पंचायत में कोई वोटिंग राइट नहीं था । मसूदी साहब, आज मैं कह सकता हूं कि कश्मीर सबसे सुंदर है और यह मोदी जी की गारंटी है । थैंक यू ।

श्री रामशिरोमणि वर्मा **(**श्रावस्ती**):** सभापति महोदया, आपने मुझे संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

महोदया, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ने वाल्मीकि समुदाय को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची क्रम संख्या 5 पर चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि, मेहतर के पर्याय के रूप में सम्मिलित करने की सिफारिश की है । यह स्वागत योग्य है । मैं और मेरी पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन सिर्फ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करना ही बड़ी बात नहीं है । बड़ी बात तो तब होगी, जब इन समाज के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनको पर्याप्त सुविधाएं भी सरकार प्रदान करेगी । अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह 100 परसेंट सभी छात्रों तक पहुंच नहीं पाती है, जिससे कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के साथ-साथ ग्रेजुएशन के बच्चों के भी ड्रॉप आउट रेट में बढ़ोतरी हुई है ।

इसके साथ ही केन्द्र और राज्य सरकारों में एससी, एसटी के काफी पद खाली पड़े हैं । सरकार को चाहिए कि बैकलॉग के माध्यम से एससी, एसटी के लोगों को स्थायी रोजगार देने का भी काम करे, जिससे इनके जीवन-स्तर को बढ़ाने में सरकार कारगर साबित हो ।

इसके साथ ही अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास खेती करने के लिए भी भूमि जीरो परसेंट है । मेरी सरकार से मांग है कि उनके भविष्य को देखते हुए उनको भूमि अलॉटमेंट हो, जिससे वह खेती करने योग्य हो और अपना पेट भर सके । धन्यवाद ।

सुश्री सुनीता दुग्गल **(**सिरसा**) :** माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ ।

आप समझ सकते हैं कि इस समाज को केवल और केवल सफाई के काम के लिए ही रखा गया था । गुरुदासपुर और अमृतसर से जो 272 परिवार जम्मू-कश्मीर आए, तो उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे । मैं इस बात के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया और उसके बाद से वहाँ पर जो एक अलग ही बयार बह रही है, जिस तरह से अब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके अन्दर आप देखें कि अब इस समाज को कितनी जगहों पर आरक्षण मिलेगा, चाहे हम आवास आवंटन की बात करें या लोक सभा या विधान सभा के अन्दर आरक्षण की बात करें, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण की बात करें, नगरपालिकाओं में आरक्षण की बात करें, चाहे छात्रवृत्ति की बात करें । इसके साथ-साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, उसके तहत भी प्रावधानों का लाभ मिलेगा । राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा रियायती दरों पर ऋण भी मिलेगा । बहुत-सी सुविधाएं इस समाज को मिल सकेंगी ।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि जब हम वाल्मीकि जी को याद करते हैं, तो हम रामायण को भी याद करते हैं, जो एक-दूसरे के पर्याय हैं । जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री राम मन्दिर में प्राण-प्रतिष्ठा की और वहाँ के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा । इससे पूरा देश प्रफुल्लित है । वे इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं ।

आप देखें कि महर्षि वाल्मीकि जी वे हैं कि जिस समय सीता माँ, जो कष्ट में थीं, उस समय उन्होंने उनको आश्रय दिया और लव-कुश के जो संस्कार हैं, लव-कुश को अस्त्र और शस्त्र की विद्या भी महर्षि वाल्मीकि जी ने ही दी ।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इसी शनिवार और रविवार के दिन मुझे तमिलनाडु जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । कोयम्बटूर की विधायक वानथी श्रीनिवासन जी ने मुझे आमंत्रित किया था । आप हैरान होंगी कि वहाँ की महिलाएं और वहाँ के किसान वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उनको लेकर वहाँ पर उनके अन्दर एक उल्लास है, एक उत्साह है । इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में साउथ के क्षेत्रों में और तमिलनाडु में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी ।

इसके साथ-साथ, अबकी बार जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पद्मश्री अवार्ड दिए हैं, हमें श्री बदरप्पन जी, जो 87 वर्ष के हैं और कोयम्बटूर के एक गांव में रहते हैं, से मिलने का मौका मिला । समाज के अन्दर सुधार का जब कोई न कोई व्यक्ति बीड़ा उठाता है, तभी समाज आगे बढ़ता है । श्री बदरप्पन जी ने वहाँ मुरुगन जी और वल्ली अम्मा का जो डांस परफॉर्मेंस है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है । उस डांस परफॉर्मेंस में पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थीं । उन्होंने उसके अन्दर महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया । आज उसी वजह से 87 वर्ष के बदरप्पन जी को पद्मश्री अवार्ड मिला । हमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

मैं कहना चाहूंगी कि हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत नरवाना एक विधान सभा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत कलौदा खुर्द गांव है । वहाँ पर एक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया । जब मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया, तो मुझे वहाँ एक चौपाल में जाने का मौका मिला । वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ की महिलाएं खिड़की से झाँक रही हैं । मैंने उनसे कहा कि आप लोग अन्दर आइए । तो उन्होंने कहा कि हमें अन्दर आने के लिए एलाउड नहीं है । मैंने कहा कि आज़ादी के इतने साल हो गए और आप लोगों को चौपाल के अन्दर आना एलाउड नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल एलाउड नहीं है । मैंने उनसे आग्रह किया कि? (व्यवधान)

SHRI S. S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Madam, she is giving wrong information to the House.

? (*Interruptions*)

सुश्री सुनीता दुग्गल **:** माननीय सभापति महोदया, मैंने तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा ।? (व्यवधान) मैं तो जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, वही कह रही हूँ । मैं किसी के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रही हूँ ।? (व्यवधान) तो क्या दिक्कत आ रही है? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप बोलिए ।

सुश्री सुनीता दुग्गल **:** माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि गांव के अन्दर जब महिलाएं खिड़की से झाँक रही थीं, तो मैंने वहाँ के पंचायत के अधिकारी से पूछा कि आप लोगों ने महिलाओं को अन्दर क्यों नहीं आने दिया? उन्होंने कहा कि यहाँ पर 75 वर्षों से यह एलाउड ही नहीं है । मैंने कहा कि अगर आपकी पंचायत में महिला सरपंच बनेंगी, तब आप उनको एलाऊ करेंगे? तो उन्होंने बताया कि सरपंच भी महिला ही हैं । आप देखें कि उसी दिन महिलाओं ने वहाँ पर एंटर किया । इसलिए किसी न किसी को यह बीड़ा उठाना पड़ेगा ।

प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने श्रमिकों, किसान भाइयों और महिलाओं के लिए जिस तरह से उनके अधिकारों का समर्थन किया था, उसी तरह से आज वे कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदया, जो चार वर्ग हैं, चाहे हम किसान की बात करें, गरीब की बात करें, महिलाओं की बात करें या हम युवा शक्ति की बात करें, उनको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** ये अच्छी बात बोल रही हैं ।

सुश्री सुनीता दुग्गल **:** महोदया, मैं अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त करूँगी ।

माननीय सभापति **:** बहुत जल्दी नहीं, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

सुश्री सुनीता दुग्गल **:** माननीय सभापति महोदया, संत शिरोमणी रविदास जी ने कहा था:

ऐसा चाहूँ राज मैं, मिले सभी को अन्न,

छोटे-बड़े सब सम बसैं, रविदास रहें प्रसन्न ।

इस तरह से, जितने भी बड़े-बड़े संत हुए, उन्होंने सभी को इकट्ठा लेकर समाज को साथ चलने की बात कही है ।

अंत में, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगी कि कबीर साहब ने भी एक बात कही थी:

?कबीर कुआँ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक ।?

महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Madam Chairperson, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023 and the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023 which have been moved by the hon. Ministers. I support these two Amendment Bills which are related to the State of Jammu and Kashmir.

Madam, many of the hon. Members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have expressed their views and have also stated very many burning issues which these communities are facing throughout the country. I am not going into all the details. But what is the living condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country? Their living condition is very poor. The Government is also not taking care of the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country.

Even the budget allocation under SEP and TSP for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has decreased and also cut short. Whatever amount is estimated for SEP and TSP, it is not being spent timely. In many of the areas, SC/ST fund allocation has also got lapsed. SC/ST fund in different Ministries is also not being spent timely.

The officials ? I mean bureaucrats ? are not taking any interest to spend the money allocated for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is the main problem. I would like to bring it to the attention of the hon. Ministers.

Madam, atrocities among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are increasing day by day throughout the country, especially in the northern part of India. Everybody knows about it. Every media agency is also reporting on this.

We have a strong law here, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act. But it is not being implemented properly. The police authorities are not ready to register the cases under this Act and conviction is also very, very less.

This is the situation in the entire country. But the Home Ministry of India is not giving any strong direction to the State Home Departments to register the cases under this Act wherever the atrocities against SC/ST are there.

माननीय सभापति **:** अब आप समाप्त कीजिए ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, I am concluding. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act should be used against the atrocities. But unfortunately, there is no such direction from the Home Ministry. That is why, the States are also not taking it seriously.

Madam, another important issue is unemployment. Employment opportunities in the Government sector are decreasing day by day. Private sector, private companies, multi-national companies are growing in number. There is a long-pending demand from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities to have a special recruitment in Government sector as well as the private sector.

In the Government sector, the backlog vacancies are filled up through special recruitment. At the same time, the Government should insist upon the private sector to appoint the Scheduled Castes/Scheduled Tribes personnel.

19.00 hrs

The Government should fix the percentage and, in that proportion, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees should be recruited in the private sector. The Government of India has not taken any step for the recruitment of SC and ST in the private sector. Lakhs and lakhs of vacancies are lying unfilled in the Central Government departments. I would like to appeal to the Government in this respect.

Hon. Home Minister is here along with the hon. Minister of Social Justice. I would like to appeal to the Ministers to take necessary steps for conducting a special drive to fill up the backlog vacancies of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Madam, the hon. Minister is aware of the issue of the Post-Matric Scholarships. Lot of questions have already been raised in this House on previous occasions in this respect. The Post-Matric Scholarships are not given timely. Our SC and ST students are facing serious problems. How can they study without scholarship? Madam, you are very much aware about the conditions of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students in this country. They are solely dependent on scholarships for their studies but the Government is not taking any serious step to release the money for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students.

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, there are a number of burning issues which are being faced by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country but the Government is not addressing these serious issues.

Another long-pending demand is related to the Dalit Christians. They should be included in the Scheduled Castes List. There is a case pending in the Supreme Court. Justice Ranganath Mishra Commission has already recommended their inclusion in the Scheduled Castes List. But, unfortunately, the Government of India has not taken any positive step in this direction. That is why, Dalit Christians are not getting reservation. This is also a long-pending demand from Dalit Christians. I would like to appeal to the hon. Social Justice and Empowerment Minister to consider this also.

Thank you.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Madam. The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023 amends the Constititon (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956. The Order lists the castes deemed to be Scheduled Castes in the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The Bill adds Balmiki Community as a synonym of Chura, Bhangi, Balmiki, and Mehtar Communities. The synonym will apply only in the Union Territories of Jammu and Kashmir.

The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023 amends the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989 to create a separate list for Scheduled Tribes for Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The Bill also adds four communities to the list of the Scheduled Tribe in Jammu and Kashmir. These are "Gadda Brahmin", "Koli", "Paddari Tribe" and "Pahari Ethnic Group". The two Bills are clubbed together in order to facilitate our discussion. I am at the fag-end of the discussion.

सभापति जी, मैं ज्यादा कुछ न बोलकर एक ही बात कहना चाहता हूं । वह यह है कि अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद लद्दाख के लोगों के जहन में आया था कि उन लोगों को न्याय मिलेगा । आज लद्दाख के लोग स्टेट हुड की डिमांड कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं । लद्दाख के आम लोग हजारों की तादाद में सिक्स्थ शेड्यूल की मांग भी करते हुए रास्तों पर आ गए हैं । जब यह बिल लाया ही जा रहा है तो लद्दाखवासियों की भावना को सम्मान देते हुए, उनकी भावना का संज्ञान लेते हुए लद्दाख के लोगों को सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत लाने की जरूरत है ।

मैं यह मांग जरूर करूंगा क्योंकि वर्ष 2003 में हमारी यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय में मंत्री राय जी ने की थी । Ensuring the protection of land and employment for the people of Ladakh ? यह उसका ऑब्जेक्टिव था । लेकिन, लद्दाख के लोग अभी यह सोच रहे हैं कि वे इससे वंचित हो रहे हैं । इसके लिए वे भारी आक्रोश का इज़हार कर रहे हैं ।

महोदया, मैं इस सदन के सामने, जहां होम मिनिस्टर बैठे हैं और हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी बैठे हैं, उन सबको यह निवेदन करूंगा कि लद्दाख के बारे में भी सोचा जाए । कश्मीर का मुद्दा यहां दिन भर की चर्चा में आ गया है तो फिर लद्दाख इससे क्यों बाहर रहे, क्योंकि आपने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर लद्दाख और जम्मू-कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बनायी, लेकिन फिर भी यहां पर लद्दाख के बारे में चर्चा नहीं होती है ।

मेरी बात इस बिल के दायरे के बाहर है, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी और सोशल जस्टिस मिनिस्टर जी यह भी सोचें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जो गोरखा लोग रहते हैं, उन लोगों की भी बहुत सालों से यह मांग है कि उन्हें भी सिक्स्थ शिड्यूल के दायरे में लाया जाए । यह सोचने के लिए भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा । इसके साथ-साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं ।

डॉ**.** वीरेन्द्र कुमार **:** माननीय सभापति महोदया जी, धन्यवाद ।

महोदया, आज की चर्चा दो बिलों पर एक साथ प्रारंभ हुई । जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सूचियों में बाल्मीकि के साथ-साथ, वहां पर पहले बाल्मीकि शब्द प्रयोग किया जाता था, तो बाल्मीकि के साथ-साथ उसमें वाल्मिकी भी जोड़ा जाए ।

महोदया, इस चर्चा में बड़ी संख्या में इस सदन के माननीय सदस्यों ने भाग लिया । मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं । श्री अमर सिंह जी, श्री जुगल किशोर शर्मा जी, श्री रवि कुमार जी, श्री मलूक नागर जी, श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी, श्रीमती गोड्डेति माधवी जी, अरविन्द सावंत जी, दिलेश्वर कामैत जी, रमेश चन्द्र माझी जी, सुप्रिया सुले जी, मोहम्मद सादिक जी, डा. भोला सिंह जी, हसनैन मसूदी जी, डी.एन.वी. सेंथिलकुमार जी,

डॉ. थोल तिरुमावलवन जी, तापिर गाव जी, श्री रामशिरोमणि वर्मा जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, श्री के. सुरेश जी और हमारे श्री अधीर रंजन चौधरी जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं ।

माननीय सदस्यों के द्वारा वाल्मिकी समाज के संदर्भ में जब अपनी बातें कही गयीं तो सभी की जो प्रतिध्वनि निकलकर आई, वह प्रतिध्वनि यही निकल कर आई थी कि वाल्मिकी समाज को यह अधिकार मिलना चाहिए । सरकार जो यह बिल लेकर आई है, तो देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, डा. भीमराव अम्बेडकर जी के समता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार के ध्येय वाक्य को पूरा करने का लक्ष्य लेकर सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, उसी दिशा में आज यह बिल एक महत्वपूर्ण बिन्दु साबित होने जा रहा है ।

महोदया, देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले नौ वर्षों में अनुसूचित जाति समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गयीं, जिससे अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक और पारिवारिक स्थितियों में व्यापक स्तर पर काफी परिवर्तन आया है । आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सोच ?सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? और देश को आत्मनिर्भर बढ़ाने में सभी का सामूहिक प्रयास है ।

?उन्नत माथा माता का? - कश्मीर हमारे देश का, भारत माता का माथा है । वहां पर समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले हमारे बाल्मीकि समाज के बंधु, जो पिछले छ: दशकों से, 60 साल से भी ज्यादा समय से उस न्याय की आशा में लगातार वहां पर अपमान की पीड़ा झेलते हुए सफाई के काम में लगे हुए थे ।

19.10 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

उनको न्याय दिलाने की पहल आदरणीय पंत प्रधान जी द्वारा की गई । हमारे डॉ. भोला सिंह जी बोल रहे थे कि इलाहबाद में, जब कुंभ में, करोड़ों की संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु आए थे, तब वाल्मीकी समाज के बंधुओं के पैर धोने का काम देश के प्रधान मंत्री जी द्वारा किया जा रहा था । उस समय प्रधान मंत्री जी के हाथों में जल का कलश था और सामने इलाहबाद कुंभ परिसर को साफ और स्वच्छ करने वाले हमारे सफाई कर्मी भाई-बहन थे । जब माननीय प्रधान मंत्री जी उनके पैर धो रहे थे, तब उनकी आँखों में आंसू थे । उन आँसुओं की भावना को समझने का अगर प्रयास किया होता तो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी पीड़ा को सम्मान देने के बारे जो कदम आज उठाया जा रहा है, अगर 60 साल पहले इस बारे में सोचा गया होता तो कितना अच्छा होता । भारत मंडपम् में भी श्रमवीरों का सम्मान देश के पंत प्रधान जी द्वारा किया गया । जब माननीय प्रधान मंत्री जी उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, तब मैंने देखा कि उन श्रमवीरों की आँखों में भी आंसू आ रहे थे कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ, देश का प्रधान मंत्री, आज हमको इस तरह से सामने बिठा कर, स्वयं खड़े हो कर हमारा सम्मान कर रहे हैं । यह दृश्य देखने की किसी ने कल्पना ही नहीं की थी । भारत की इस विकास यात्रा में चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, देश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मैडिकल कॉलेज, उद्योग, विश्वविद्यालय, आईआईएम, आईआईटी, देश की गगनचुंबी इमारतों की बात हो, चंद्रयान-3 की सफलता की बात हो, जी-20 की बैठक के दौरान विश्व पटल के सामने एक सफल आयोजनकर्ता के रूप में भारत की छवि पूरे विश्व के सामने लाने की बात हो, इन सब में अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है । आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंतिम छोर के इन व्यक्तियों को सम्मान देने में कहीं किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी ।

महोदय, हमारे अनुसूचित जाति समाज का एक बहुत बड़ा योगदान देश में रहा है । देश में सफाई से ले कर सुरक्षा तक, सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने परिश्रम से, विश्वास से और दृढ़ निश्चय शक्ति से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्पों को सिद्धी की ओर ले जाने में अपना योगदान दिया है ।

महोदय, अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं । हमारे अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही गई । कई माननीय सदस्यों द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कही गई । इस संबंध में भारत सरकार ने अपनी प्रक्रिया निर्धारित की है । जिसमें राज्यों एवं संघ राज्यों के द्वारा प्रस्ताव आने पर आरजीआई और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से समर्थन होने के उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से संसद के समक्ष विधेयक के रूप में सामने लाया जाता है ।

महोदय, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के बाद वहां पर आज समानता की बात हो रही है । घाटी में कई ऐसे समुदाय हैं, जो धारा 370 समाप्त होने का इंतज़ार कर रहे थे । उनको करीब सात दशकों से राज्य में मौजूद अन्य समुदायों की तरह अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे थे । इनमें प्रमुख है दलित वर्ग का हमारा वाल्मीकी समुदाय । इस समुदाय को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है । इस समुदाय के लोग रामायण के रचियता महर्षि वाल्मीकी को अपना भगवान मानते हैं । हम सब भी उनको अपना भगवान मानते हैं । देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब मध्य प्रदेश के सागर में सौ करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला रखी गई, तब संत रविदास जी के अनुयायी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि देश में किसी प्रधान मंत्री जी के द्वारा देश की आजादी के बाद पहली बार यह कदम उठाने का साहस किया गया है । ? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** मंत्री जी, आप बिल पर बोलिए न । ? (व्यवधान)

डॉ**.** वीरेन्द्र कुमार **:** अधीर रंजन जी, आप अधीर मत होइए । अगर आपने 70 सालों में सोचा होता, तो आज उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती । एक और बात कही गई कि जब द्रौपदी मुर्मु जी को माननीय राष्ट्रपति बनाया गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, यहां नहीं बुलाया गया, वहां नहीं बुलाया गया । अगर मन में इतनी संवेदनशीलता थी तो क्यों नहीं उनको विजयी बनाने के लिए साहस किया, क्यों नहीं आगे आकर समर्थन दिया, कहाँ गई थी संवदेनाएं, कहाँ गई थी भावनाएं? आलोचना-प्रत्यालोचना करना और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर बात करना अलग बात होती है । जहां तक समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर को न्याय दिलाने की बात आती है तो वहां केवल नारा दिया जाता था । नारा दिया जाता था ? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया गया । अनुसूचित जाति समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता रहा । उनकी पीड़ाओं, भावनाओं, दर्द, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे, उनके आवास के बारे में सोचा नहीं गया । अभी हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी बोल रही थी, हमारे मलूक नागर जी बोल रहे थे । अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा यहां पर बात कही जा रही थी कि अब उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा । अब उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा । अब उनके बच्चों को राज्य और केंद्र सरकार की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का लाभ मिलेगा । अब उनके बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा । अब उनके बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग और तकनीकी की पढ़ाई कर सकेंगे । वे केवल सफाई के काम में नहीं लगे रहेंगे । 60 सालों से जम्मू-कश्मीर में हमारे 272 परिवार, जो पंजाब के गुरूदासपुर और अमृतसर से गए थे, उनको वर्षों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया गया ।

अधीर रंजन जी, आप सुनिए । आज उनके लिए यह बिल लाया जा रहा है । इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा । उन्हें समान अधिकार, नए मौके, नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । इतना ही नहीं, वे अन्याय के दौर से गुजर रहे थे । स्थायी प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से बाल्मिकी समाज के लोग वहां पर संपत्ति नहीं खरीद पाते थे । उनके बच्चों को राज्य सरकार की शिक्षा छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था । बाल्मिकी समुदाय के बच्चों को राज्य की इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल कोर्स के कॉलेजों में एडमिशन भी नहीं मिलता था । बाल्मिकी समुदाय के लोग लोक सभा चुनाव में तो मताधिकार का उपयोग कर सकते थे, लेकिन विधान सभा के चुनाव में मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकते थे ।

अधीर रंजन जी, ये बिल की ही बातें हैं । बिल की इन बातों पर हमारे साथी बोल रहे थे । यह बिल पूरी तरह से जम्मू-कश्मीर पर केंद्रित था । बाल्मिकी समाज के हमारे जो 272 बंधु थे, उनकी संख्या आज हजारों में पहुंच गई है । इस संशोधन के माध्यम से बाल्मिकी शब्द को भी जब जोड़ा जाएगा, तो हमारे बाल्मिकी समुदाय को आवास आवंटन में आरक्षण का लाभ मिलेगा । उनको लोक सभा और विधान सभा में आरक्षण का लाभ मिलेगा । पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा । नगरपालिकाओं में आरक्षण मिलेगा । प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ होगा । मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा । राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा । उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा । राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की रियायती दरों पर लोन का लाभ भी उनको मिलेगा । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों का भी लाभ मिलेगा । नमस्ते स्कीम का भी लाभ मिलेगा । वेंचर कैपिटल ट्रेजर फंड का लाभ भी उनको मिलेगा ।

आप लोगों ने बहुत सारी बातें उठायीं । कई प्रश्नों को भी आप लोगों के द्वारा उठाया गया । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मंत्री जी, आप संक्षेप में बोल दीजिए ।

डॉ**.** वीरेन्द्र कुमार **:** महोदय, अगर आपकी इच्छा है तो मैं संक्षेप में समाप्त कर देता हूं । मैं दो-तीन चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा ।? (व्यवधान)

अधीर रंजन जी, मैं आपके ही सदस्य की बात कर रहा हूं । अमर सिंह जी ने कहा था कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को बंद किया गया है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने न प्री-मैट्रिक और न पोस्ट-मैट्रिक, किसी भी छात्रवृत्ति को बंद नहीं किया है, बल्कि डीबीटी के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया है कि अब पैसा सीधे छात्र के खाते में जाएगा ।

बीच में जो सारी अनियमतताएं होती थीं, उन अनियमितताओं को दूर करके अब सीधा छात्र के खाते में पैसा जाएगा । तमिलनाडु के श्री डी. रविकुमार जी ने कहा था कि तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव हो । मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार का इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । कुछ एक जाति नामों को बदलने के प्रस्ताव जरूर प्राप्त हुए हैं, जो आरजीआई के पास हैं ।

श्री के. सुरेश जी शायद चले गए हैं । ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाने वाले सदस्यों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की बात उनके द्वारा कही गई थी । इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में के.जी. बालकृष्णन आयोग का गठन किया गया है, जो दो वर्षों में इस संबंध में अपना कार्य करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगा । उनके द्वारा एक बात और कही गई थी कि समय पर छात्रवृत्ति मिले । राज्यों के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर उनसे हम छात्र के एकाउंट नंबर और नाम मांगते हैं । जैसे ही वह सूचना यहां पर आती है, हम यहां से बटन दबाते हैं । एक बटन यहां से दबता है और एक सेकेंड में

छात्रवृत्ति सीधी छात्र के खाते में चली जाती है । 40 पर्सेंट राशि राज्य को देनी पड़ती है और 60 पर्सेंट राशि केंद्र सरकार देती है और 1 सेकेंड में सारे छात्रों के खाते में राशि पहुंच जाती है ।

अंतिम बात, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शिल्प समागम की शुरुआत की गई है । यह पहली बार हुआ है, जिसमें हमारे सफाईकर्मी भाई-बहन, आज मैं देखता हूं कि जब शिल्प समागम के मेले लगते हैं, चाहे अहमदाबाद में लगें, जयपुर में लगें, मुंबई में लगें, तो उसमें अनुसूचित जाति समाज के बड़ी संख्या में हमारे भाई-बहन आज तरह-तरह की चीजों का जो निर्माण कर रहे हैं, उनको विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा इन प्रदर्शनियों के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है ।

वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है जिससे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु अपना काम प्रारम्भ कर सकें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें । कंपीटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से वे आईएएस, आईपीएस सरीखे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा श्रेष्ठता स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से शुरुआत की गई है ।

अरविंद सावंत जी और अन्य साथी चले गए हैं । मैं हर एक की बात का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी का इशारा है और आप सबने भी सर्वसम्मति से इसके लिए अपना सहयोग दिया है ।

अंत में, मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में कि हम सब, जम्मू-कश्मीर के जो हमारे वाल्मीकि समाज के जो बंधु हैं, उन बंधुओं को न्याय दिलाने के लिए, उनको भी जीवन में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सामूहिक रूप से इस बिल का समर्थन करें । ऐसा मैं सदन से अनुरोध करता हूँ ।

श्री अर्जुन मुंडा **:** महोदय, आज सदन में आपने जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 को सदन में विचार के लिए अनुमति दी, इस पर आज चर्चा हुई और इस चर्चा में संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो विधेयक है, दोनों विधेयकों के ऊपर माननीय सदस्यों ने चर्चा की । इस चर्चा में माननीय अधीर रंजन सहित 20 से अधिक माननीय सदस्यों ने भाग लिया । सबने अपने-अपने विचार दिए और कुल मिलाकर मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन कुछ बिन्दु, कुछ विषय भी इनके माध्यम से आए हैं । बहुत सारे विषयों के संदर्भ में माननीय हमारे वरीय मंत्री वीरेन्द्र जी ने सदन के समक्ष बात रखी ।

मैं कुछ बातों को स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त में अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं । माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस दृढ़ता के साथ, कश्मीर और कन्याकुमारी तक भारत एक है, धारा 370 और 35 ए हटाकर इस संदेश को न केवल देशवासी, बल्कि दुनिया को भी देने का कार्य किया । पिछले दिनों इसी सदन में भारतीय न्याय संहिता पारित हुआ । भारतीय न्याय संहिता धारा 370 के पहले यदि पास होता तो उसमें लिखना पड़ता कि जम्मू-कश्मीर को छोड़कर । अब जो भी कानून इस देश के पार्लियामेंट में बनेगा वह पूरे देश के लिए बनेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है ।

आज कुछ लोग भारत जोड़ो के नाम से यात्रा की राजनीति करते हैं । यह वास्तव में किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है । आज मुझे सूचना मिली कि भारत जोड़ो यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वे खूंटी की धरती पर गए और खूंटी की धरती पर जाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बताया, लेकिन बिरसा मुंडा के जन्मभूमि पर जाने की उनकी इच्छा नहीं हुई । ? (व्यवधान)

15 नवम्बर को देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म भूमि उलिहातू जाकर उस मिट्टी को तिलक लगाया । अंतिम व्यक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए पीएम जन मन के माध्यम से प्रिमिटिव ट्राइब व वलनरेबल ट्राइब के लिए 24 हजार करोड़ रुपये की योजना प्रारंभ की । आज एक नेता वहां पर गए, लेकिन उनके जन्म स्थान उलिहातू में जाने की फुर्सत उनको नहीं मिली । यह उनके भारत जोड़ो का विवरण है । यह दिख रहा है कि देश को किस नजरिए से देखा जाता है ।

आज जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति से संबंधित विधेयक है, यह विधेयक इस संदेश के साथ है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और सभी के विश्वास के साथ और सबके प्रयास के माध्यम से देश आगे बढ़ना चाहिए । आज जिस सूची में शामिल करने के लिए सदन में चर्चा हुई है, उसके माध्यम से आज जम्मू-कश्मीर को न्याय मिल रहा है । जम्मू-कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि यह कश्यप ऋषि की तपो भूमि है, उस कश्यप ऋषि को सम्मान देने का काम आज अनुसूचित जनजाति के विधेयक के माध्यम से किया जा रहा है ।

मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे विधानों में जिस किसी से भी गोत्र के बारे में पूछा जाता है, यदि वह नहीं बता पाए तो उसका पूजा पद्धति कश्यप ऋषि के माध्यम से होता है । वह कश्मीर कश्यप ऋषि के नाम से है । वहां आज की जनता को न्याय मिलने का काम हो रहा है । मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं । वहां पर ऑलरेडी जो हमारे गुर्जर-बक्करवाल, गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा और नौकरी में उनके आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा । हम जिनको न्याय देने के लिए सम्मिलित कर रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है, वह बरकरार रहेगी । इसके साथ-साथ, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री वीरेन्द्र कुमार जी ने किया है कि पोलिटिकल रिजर्वेशन नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को मिलेगा । पोलिटिकल रिजर्वेशन जो नहीं मिलता था, वहां पर भी मिलेगा । इस विधेयक के माध्यम से वहां संवैधानिक अधिकार के पूर्ण स्वरूप का प्रतिबिंब होगा, दिखाई देगा ।

महोदय, हमारा देश जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक समग्र शक्ति बनकर आगे बढ़ रहा है, यही इस देश का मूल आधार है । इससे निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर में जिस तरीके से लोगों का विश्वास बढ़ा है और जिस तरीके से वहां के लोग आत्मविश्वास के साथ संकल्प ले रहे हैं, इसका आह्वान माननीय प्रधान मंत्री जी ने ?सबका साथ, सबका विकास? मूलमंत्र के साथ प्रारंभ किया है, वह सार्थक रूप से दिखाई देगा । मैं इस अवसर पर खासकर अधीर रंजन जी को थोड़ा धीर रहने के लिए निवेदन करूंगा । आप लद्दाख का जिक्र किस मंशा से कर रहे हैं? आपकी इसमें मंशा क्या है? धारा 370 के माध्यम से आपने लद्दाख को जितना निचोड़ना था, आपने निचोड़ा और आज जब लद्दाख को न्याय मिल रहा है तो आपको इसमें परेशानी हो रही है । लद्दाख के बारे में जितनी चिंता भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार कर रही है, उतनी किसी और सरकार ने या पिछले शासन में आपने कभी नहीं की ।

महोदय, मैं इस सदन में निश्चित रूप से कहूंगा कि आज जो ऐतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर के शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स के संबंध में हो रहा है, जिसे माननीय सदस्यों ने भी समर्थन दिया है । अब विधेयक पारित किया जाएगा, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष**:** आइटम नंबर 26,

प्रश्न यह है:

?कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 Short title

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,-

?2023? के स्थान पर ?2024? रखें । (2)

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

?चौहत्तरवें? के स्थान पर ?पचहत्तरवें? रखें । (1)

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

?कि अधिनियमन, सूत्र यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष **:** अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए ।

डॉ**.** वीरेन्द्र कुमार **:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि विधेयक, यथा संशोधित पारित किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष**:** प्रश्न यह है:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नंबर 27

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 Short title

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, -

?2023? के स्थान पर ?2024? रखें । (2)

(श्री अर्जुन मुंडा)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है :

?कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

अधिनियमन सूत्र

<u>संशोधन किया गया :</u>

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, -

?चौहत्तरवें? के स्थान पर ?पचहत्तरवें? रखें । (1)

(श्री अर्जुन मुंडा)

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है :

?कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

<u>विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए ।

श्री अर्जुन मुंडा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

?कि विधेयक, यथा संशोधित पारित किया जाए ।?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

_____

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

-

-

-

-

18.07 hrs